

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-23.09.2024

थाना चकरघट्टा जनपद चंदौली

□थाना चकरघट्टा पुलिस द्वारा 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जाये जा रहे कुल 08 राशि भैस बरामद करते हुए 03 अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार ।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ कृष्णमुरारी शर्मा के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर बैरगाढ़ चौराहा के पास से जंगल के रास्ते पिकअप में वध हेतु क्रूरतापूर्वक लादकर वाराणसी ले जाये जा रहे कुल 08 राशि भैस (04 राशि भैस ,04 राशि पडवा) बरामद करते हुए 03 अभियुक्त 1.अशोक कुमार पुत्र स्व0 मुराहू निवासी ग्रा0 बलिया थाना चकिया जनपद चन्दौली 2.अली एमाम पुत्र स्व0 बचाउ ग्राम चन्दाईत थाना बबुरी जनपद चंदौली 3. सोनू पुत्र मुमताज निवासी ग्राम चन्दाईत थाना बबुरी जनपद चंदौली को गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 064/24 धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम बनाम अशोक कुमार व अली एमाम पुत्र स्व0 बचाउ व सोनू पुत्र मुमताज आदि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.अशोक कुमार पुत्र स्व0 मुराहू निवासी ग्रा0 बलिया थाना चकिया जनपद चन्दौली
- 2.अली एमाम पुत्र स्व0 बचाउ निवासी ग्राम चन्दाईत थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- 3.सोनू पुत्र मुमताज निवासी ग्राम चन्दाईत थाना बबुरी जनपद चन्दौली

पंजीकृत अभियोग

- 1.मु0अ0सं0 064/24 धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

- 1.08 राशि भैस (04 राशि भैस, 04 राशि पडवा जिन्दा)
- 2.01 पिकअप

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

- 1.प्रा0नि0धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।
- 2.उ0नि0 संतोष कुमार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक-23.09.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम० चकिया चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना शहाबगंज के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 12.2.2000 को धारा 379,224,225,353 भादवि व 4/21 खनन एवं खनिज अधि० के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. शिवपूजन पुत्र बचाई निवासी पालपुर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 10/2000 धारा 379,224,225,353 भादवि व 4/21 खनन एवं खनिज अधि० थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व विपिन बिहारी यादव(पीओ) व थाना शहाबगंज के पैरोकार आरक्षी विपिन यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-23.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम० चकिया चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1. शिवपूजन पुत्र बचाई निवासी पालपुर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली) को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-23.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 6000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 03.06.2000 को धारा 324 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सुरेश साव पुत्र श्री सत्यनरायण साव 2.रमेश साव पुत्र श्री सत्यनरायण निवासी ग्राम लालबहादुर शास्त्री कटरा मुगलसराय चन्दौली विरुद्ध अपराध संख्या- 175/2000 धारा 324 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री मनोज कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-23.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा अभियुक्तों 1. सुरेश साव पुत्र श्री सत्यनरायण साव 2.रमेश साव पुत्र श्री सत्यनरायण निवासी ग्राम लालबहादुर शास्त्री कटरा मुगलसराय चन्दौली को न्यायालय उठने तक की सजा व 6000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-23.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 15000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 02.06.2001 को धारा 323,504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. शिव कुमार चौहान पुत्र श्रीरी निवासी सुण्डेहरा थाना सैयदराजा चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 44/2001 धारा 323,504 भादवि थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री मनोज कुमार (पीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-23.09.2024 को पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1. शिव कुमार चौहान पुत्र श्रीरी निवासी सुण्डेहरा थाना सैयदराजा चन्दौली को न्यायालय उठने तक की सजा व 15000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक-23.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 15.02.1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.लालचन्द्र पुत्र राम प्रकाश निवासी गनेशीपुर थाना हण्डिया जिला प्रयागराज विरुद्ध अपराध संख्या- 50/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटारिंग सेल व श्री मनोज कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-23.09.2024 को पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.लालचन्द्र पुत्र राम प्रकाश निवासी गनेशीपुर थाना हण्डिया जिला प्रयागराज को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-23.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू०डि०/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 07.02.2002 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अशोक यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी अमोधपुर थाना अलीनगर चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 76/2002 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री मनोज कुमार (पीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-23.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू०डि०/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.अशोक यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी अमोधपुर थाना अलीनगर चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-23.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू०डि०/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 17.01.2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता नि० अधि० के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राधे पुत्र शोभनाथ बिन्द निवासी कवई पहाडपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 06/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता नि० अधि० थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री मनोज कुमार (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार सरोज की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-23.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू०डि०/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.राधे पुत्र शोभनाथ बिन्द निवासी कवई पहाडपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक- 23.09.2024

जनपद चन्दौली

- कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही खाकी कर रही रिश्तों को भी मजबूत।
- छोटी मोटी बातों व गलतफहमियों के कारण अलग हुए दम्पतियों को चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार समझा-बुझाकर कराया जा रहा एक।
- महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र के अथक प्रयास से आज 03 बिछड़े दम्पति पुनः एक साथ रहने को हुए राजी।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा बिछड़े दम्पतियों को मिलाकर एक परिवार के बीच पुनः खुशियां लौटाने का लगातार सार्थक प्रयास किया किया जा रहा है। दिनांक 23.09.2024 को ऐसे ही 03 परिवार से पति व परिजनों के विरुद्ध पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को जरिये नोटिस/मोबाइल द्वारा सूचित कर महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र पर बुलाकर पारिवारिक मूल्यों एवं महत्व को बताते हुए अथक प्रयास से समझाया बुझाया गया। दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं बिना किसी जोर दबाव के अपनी बीती हुई बातों/गलतियों को स्वीकार कर नये सिरे से पुनः पति/पत्नी की तरह एक दूसरे का सम्मान करते हुये रहने को तैयार हुये। महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र से दम्पति के बीच पारिवारिक विवाद को समाप्त कराते हुये टूटते हुये रिश्ते को बचाते हुये पति/पत्नी को परिजनों के साथ राजी खुशी भेजा गया।

प्रेस नोट दिनांक- 23.09.2024

जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 24 शराबियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 23.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 24 शराबियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।